रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 147] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, जन 22, 1972/आषाढ़ 1, 1894

No. 147] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 22, 1972/ASADHA 1, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 22nd June 1972

SUBJECT.—*Import Policy for the year April, 1972—March 1973.*

No. 91-ITC (PN)/72.—Attention of importers is invited to import policy as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April 1972—March 1973.

2. The following amendments shall be made at appropriate places in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April 1972—March 1973 :—

Page No. of the Red Book (Vol. I)	Reference	Details of amendments
30	Section II, S. No. 17(c)/ II, Column 4.	(1) The Item (i) under remarks (1) viz. 'Strips containing minimum 97% aluminium for manufacture of venetian blinds/louvres', may be deemed to have been deleted.

Page No. of the Red Book (Vol. I)	Reference	Details of amendments
		(2) The following new remark may be deemed to have been inserted :— "(3) A.U. on restricted basis for import of aluminium strips in coils or cut lengths, painted or unpainted containing less than 99% aluminium suitable for manufacture of or use as venetian blinds/louvres."
69	Section II, S. No. 122(li)/ V, Column 4, Remarks (1).	The following new item as S.No. (vii) may be deemed to have been inserted :— "(vii) Wool grease for manufacture of lanolin anhydrous."
188	Section V, Appendix 24, Para 4(b), Item No. (1)— Aniline oil.	The requirements of actual users for this item will be met on a restricted basis. (Release orders will be issued upto 10% of the face value of the licence).
196	Section V, Appendix 28, Para 4, List of Canalised items—S.No. 31—Amyl and Iso-amyl alcohol.	The existing remark may be deemed to have been substituted by the following :— "(a) Requirements of actual users for amyl alcohol will be met on a restricted basis. However, import of amyl alcohol milk testing quality as per ISI specification 1224 and IS 360 will not be permitted. (Import of amyl alcohol other than of banned type will be allowed to actual users upto 5% of the face value of the licence). (b) Requirements of actual users for Iso amyl alcohol for manufacture of amyl alcohol milk testing quality will be met without any face value restriction."
198	Section V, Appendix 28, List II.	The following item may be deemed to have been inserted at the appropriate place :— "Solvent naphtha (Light and Heavy)."— Import will be allowed upto 10 % of the face value of the licence.
201	Section V, Appendix 28, List III, Item No. 199— Solvent naphtha (Light and Heavy).	This item may be deemed to have been deleted.
224	Section V, Appendix 35, List A, S. No. (2)—Printing Machinery, Item No. 5.	The description may be deemed to have been substituted by the following :— "5. Letter Press Printing presses upto 18" x 22" size (platen type) but excluding fully automatic platen presses."
250	Section V, Appendix 41, Schedule 'B'.	Below the S. No. 29 , the following entries may be deemed to have been inserted under the respective columns :—

1	2	3
30	Alloy steel nipple wire other than stainless steel wire.	Import allowed.

Page No. of the Red Book) (Vol. I)	Reference	Details of amendments
255	Section V, Appendix 41, Schedule 'D' S. No. 19, Column 3, Remark I(a), Line 3.	*For* 'S. No. 27' *Read* 'S.No. 47'
262	Section V, Appendix 43.	The S. No. for the heading 'Band Switches/Band change switches', may be read as '3'.
262	Section V, Appendix 43, S. No. 3— Band Switches/ Band change switches, Item No. (ii).	The existing description may be deemed to have been substituted by the following :— "(ii) Berylium copper/Brass strips, Bronze (alloy of brass and tin) wire, silver plated."
263	Section V, Appendix 43, S. No. 7— Plastic Film Capacitors.	(1) The existing description of item No. (i) may be deemed to have been substituted by the following :— "(i) Metalized or Plain film Polyester / Polystyrene/Policarbonate/Polypropylene/Teflon/Polyethylene." (2) In the description of item No. (iv), the words 'their hard solvents' may be read as 'their hardners and solvents'. (3) The existing description of item No. (vii) may be deemed to have been substituted by the following :— "(vii) Polyester/Polystyrene/Policarbonate/Polyethylene/Polypropylene/Teflon, rod/stick/foil."
264	Section V, Appendix 43, S. No. 14— Potentiometers or Volume Controls, item No. (xv) (c).	The existing description may be deemed to have been substituted by the following :— "(c) Silver Powder/Silver Flakes/ Silver powder suspension."

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 22 जून 1972

विषय :—अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 वर्ष के लिए आयात नीति ।

सं० 91—आई०टी०सी० (पी० एन०)/72.—आयातकों का ध्यान अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 अवधि के लिए आयात व्यपार नियंत्रण नीति (रैडबुक वा० 1) में यथा निहित आयात नीति की ओर आकृष्ट किया जाता है ।

2. अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रैडबुक वा० 1) में निम्नलिखित संशोधन उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :—

रैडबुक (वा० 1) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधनों के ब्यौरे
1	2	3
30	खंड 2, क्रम सं० 17(सी)/2, कालम—4.	(1) टिप्पणी (1) के अन्तर्गत मद (i) अर्थात् 'विनीशन ब्लाइन्डस/लूवर्स के निर्माण के लिए न्यूनतम 97 प्रतिशत एल्यूमीनियम वाली पटिट्यां' हटाई गई समझी जाएं । (2) निम्नलिखित नई टिप्पणी निविष्ट की गई समझी जाए :— "(3) विनीशन ब्लाइन्ड्स/लूवर्स के रूप में उपयोग के लिए या इनके निर्माण के लिए उपयुक्त 99 प्रतिशत से कम एल्यूमीनियम वाली पेंट की हुई या बिना पेंट की हुई गुच्छों में या लम्बाई में कटी हुई एल्यूमीनियम की पट्टियों के आयात के लिए प्रतिबंधित आधार पर वास्तविक उपयोक्ता ।"
69	खंड 2, क्रम संख्या 122 (51)/5, कालम 4, टिप्पणी (1).	निम्नलिखित नई मद क्रम सं० (7) के रूप में निविष्ट की गई समझी जाए :— "(7) लेनोलिन एनहाईड्रस के निर्माण के लिए वूल ग्रीज ।"

1	2	3
188	खंड 5, परिशिष्ट 24, पैरा 4(बी), मद संख्या (i)– एनिलिन आयल.	इस मद के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं की आवश्यकताएं प्रतिबंधित आधार पर पूरी की जाएंगी (लाइसेंस के अंकित मूल्य के 10 प्रतिशत तक रिहाई आदेश जारी किए जाएंगे)।
196	खंड 5, परिशिष्ट 28, पैरा 4, सरणीबद्ध मदों की सूची–क्रम संख्या 31–अमिल और आइसो–अमिल अल्कोहल.	वर्तमान टिप्पणी निम्नलिखित टिप्पणी द्वारा प्रतिस्थापित की गई समझी जाए :— "(क) अमिल अल्कोहल के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं की आवश्यकताएं प्रतिबंधित आधार पर पूरी की जाएंगी। लेकिन दुग्ध परिक्षण गुण वाले अमिल अल्कोहल जैसे आई एस आई स्पेसिफिकेशन 1228 और आई एस 360 के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी। (निषेध किस्म से भिन्न अमिल अल्कोहल के आयात की अनुमति वास्तविक उपयोक्ताओं को लाइसेंस के अंकित मूल्य के 10 प्रतिशत तक दी जाएगी)। (ख) दुग्ध परीक्षण गुण वाले अमिल अल्कोहल के निर्माण के लिए आइसो अमिल अल्कोहल के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं की आवश्यकताएं किसी अंकित मूल्य प्रतिबंध के बिना पूरी की जाएंगी।
198	खंड 5, परिशिष्ट 28, सूची 2.	निम्नलिखित मद को उपयुक्त स्थान पर शामिल किया गया समझा जाएं :— "माल्वेंट नफ्था (हल्का और भारी)" इस मद के आयात की स्वीकृति वास्तविक उपयोक्ताओं को लाइसेंस के अंकित मूल्य के 10 प्रतिशत तक दी जाएगी।
201	खंड 5, परिशिष्ट 28, सूची 3, मद सं० 199–माल्वेंट नफ्था (हल्का और भारी)।	इस मद को निकाला गया समझा जाए।
224	खंड 5, परिशिष्ट 35, सूची ए, क्रम सं० (2) छपाई मशीन, मद सं० 5	ब्यौरे को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :— "5.18" 22" साइज (प्लेटेन टाइप) तक लेटर प्रेस प्रिंटिंग प्रेस लेकिन पूर्णतया स्वचालित प्लेटेन प्रेसों को छोड़कर।"

1	2	3
250	खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'बी'	क्रम संख्या 29 के नीचे संबंधित कालमों में निम्नलिखित प्रविष्टियों को शामिल किया गया समझा जाए :—

1	2	3
30	जंगरोधी इस्पात तार से भिन्न मिश्रधातु इस्पात निपल तार।	आयात स्वीकृत

255	खंड 5, परिशिष्ट 41, क्रम संख्या 19, कालम 3, टिप्पणी 1 (ए) पंक्ति 3.	"क्रम संख्या 27" के लिए "क्रम संख्या 47" पढ़ें।
262	खंड 5, परिशिष्ट 43.	शीर्षक "बैंड स्वीचेज/बैंड चेंज स्वीचेज" के लिए क्रम संख्या को '3' के रूप में पढ़ा जाए।
262	खंड 5, परिशिष्ट 43, क्रम० सं० 3 बैंड स्वीचेज/बैंडचेंज स्वीचेज, मद (ii)'	वर्तमान ब्यौरे को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :— (ii) बेरिलियम कापर ग्रास स्ट्रीप्स, ग्रन्ज (ग्रास और टीन की मिश्रधातु; वायर सिल्वर प्लेटेड।"
263	खंड 5, परिशिष्ट 43, क्र० सं० 7- प्लास्टिक फिल्म केपेसिटर्स.	(1) मद संख्या (i) के वर्तमान ब्यौरे को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :— (i) मेटालाइज्ड या प्लेन फिल्म पालिएस्टर/पालिस्टायरिन/ पालि-कार्बोनेट पालिप्रोपिलीन/टेफ लोन/पलिएथीलिन/ (2) मद संख्या (4) के ब्यौरे में शब्द "उनके हार्ड और सालवेंट्स" को "उनके हार्डनर्स और साल्वेंटस" के रूप में पढ़ा जाए। (3) मद संख्या (7) के वर्तमान ब्यौरे को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :— "(7) पालिएस्टर/पालिस्टायलिन/पालिकार्बोनेट/ पालिएथीलिन/पालिप्रोपिलिन/टेफलोन, राड/ स्टीक/फ्यूज।"

1	2	3
264	खंड 5, परिशिष्ट 43, क्र० सं० 14-पोटेंशियोमीटर्स या वाल्यूम कन्ट्रोल्स, मद संख्या (15) (सी)	वर्तमान व्यौरे को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :— "(सी) सिल्वर पाउडर/सिल्वर फ्लेक्स/सिल्वर पाउडर सस्पेंशन।"

SUBJECT:—*Import of raw materials/components by small scale industries during April 1972-March 1973.*

No. 92-ITC(PN)/72.—Attention is invited to the import policy for raw materials, components and spares for small scale industrial units as contained in Section I of the I.T.C. policy (Red Book—Vol. I) for April 1972-March 1973 according to which the existing units are required to apply for licences direct to the licensing authorities concerned for items appearing in their previous licence where such items are permissible under the current policy in force. It may be clarified that if an applicant requires to import an item which does not appear in his previous licence but is permissible for import under the policy currently in force, the licensing authority will consider requests for import of such an item to the unit on the recommendation of the sponsoring authority concerned. The units should, therefore, include such item(s) in the import application and approach the sponsoring authority separately for obtaining its recommendation.

2. If the item is included in the application submitted in time or if the request for such an item is made to the sponsoring authority in time, the licensing authority will consider the request as and when recommended by the sponsoring authority.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विषय :—अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 के दौरान लघु पैमाने उद्योगों द्वारा कच्चे माल/संघटकों का आयात।

सं० 92-आई० टी० सी० (पी० एन०)/72.—अप्रैल 1972—मार्च 1973 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रैड बुक—वा० 1) के खंड-1 में लघु पैमाने उद्योगों के लिए कच्चे माल, संघटकों तथा फालतु पुर्जों के आयात, के लिए यथा निर्दिष्ट नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार वर्तमान एककों को, ऐसी मदें जो उनके पूर्वगामी लाइसेंसों में दिखाई गई है और ऐसी मदें जो लागू वर्तमान नीति के अन्तर्गत स्वीकृत है उनके लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए संबंध लाइसेंस प्राधिकारियों को सीधे आवेदन करना आवश्यक है। यह स्पष्ट कर लिया जाए कि यदि कोई आवेदक ऐसी मद का आयात करना चाहता है जो उसके पूर्वगामी लाइसेंस में प्रदर्शित नहीं हैं किन्तु लागू वर्तमान नीति के अन्तर्गत आयात के लिए स्वीकृत हैं तो लाइसेंस प्राधिकारी एकक के लिए ऐसी मद के आयात के आवेदनों पर सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी की सिफारिश पर विचार करेगा। इसलिए एककों को चाहिए कि वे ऐसी मद (मदों) को आयात आवेदन पत्रों में शामिल करें और प्रायोजक प्राधिकारी की सिफारिश प्राप्त करने के लिए अलग से आवेदन करें।

2. यदि समय पर भेजे गए आवेदन पत्र में ऐसी मद शामिल करदी जाती है या ऐसी मद के लिए समय पर प्रायोजक प्राधिकारी को आवेदन किया जाता है तो लाइसेंस प्राधिकारी ऐसे आवेदनों पर जब और जैसे ही प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा सिफारिश प्राप्त होती है, विचार करेगा ।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1972